अपील सूचना अधिकार संख्या 25/2023(GCMS 2022/104)(आरटीआई नं. 21243221219694) श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री पूनम चन्द, मकान नं. 1/227 हाउसिंग बोड, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर – 335001 <u>बनाम</u> लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़, जिलाश्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>16.08.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अरविन्द कुमार जोशी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2022 से नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अरविन्द कुमार जोशी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से निम्न नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थीः

> पटवार हल्का कस्बा सूरतगढ की सम्वत् 2068–2071 की जमाबंदी के खाता संख्या 180/110 की खसरा नं. 315/02 के समस्त खातेदारों द्वारा ''गोल्डन/गोल्ड सिटी'' नाम से प्रस्तावित कॉलोनी बनाकर भू–खण्डों बेचान कार्य अमल में लाया गया जिसमें से प्रस्तावित कॉलोनी हिस्सेदार भादर खां पुत्र श्री गनी खां निवासी 3 एफडीईएम, तहसील [illegible] जिला [illegible]नगर द्वारा भू–खण्ड संख्या क्रमशः ए–01, ए–02, [illegible] ए–18 [illegible] कुमार पुत्र श्री पूनम चन्द निवासी मकान [illegible] 1/227 हाउसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्री[illegible]नगर को हस्तान्तरित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:00:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिसके बाबत आपके कार्यालय को अरविन्द कुमार द्वारा दिनांकित 12.10.2021 को पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई जिसकी आपके कार्यालय की पावती संलग्न है तथा जिसमें भू–खण्डों के स्वामित्व सूचनार्थ दस्तावेज भिजवाते हुए अन्यत्र कूट जनित दस्तावेजों के आधार पर सम्पत्ति बाबत पट्टा/हस्तान्तरण/बेचान/पंजीयन इत्यादि पर विधिक आपत्ति दर्ज करते हुए आवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल मे लाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें निम्न सूचनाएं चाहिए–

1. प्रार्थना पत्र मय समस्त पत्रावली की प्रमाणित नकल प्रतिलिपि।
2. प्रार्थना पत्र जिस मुख्य डाक प्राप्ति पंजिका में जहाँ दर्ज हुआ उस हिस्से की नकल प्रतिलिपि।
3. प्रार्थना पत्र जिस आन्तरिक डाक वितरण पंजिका में जहाँ दर्ज हुआ उस पृष्ठ के उस हिस्से की नकल प्रतिलिपि।
4. प्रार्थना पत्र जिस शाखा की पावती पंजिका में जहां दर्ज हुआ उस पृष्ठ के उस हिस्से की नकल प्रतिलिपि।
5. प्रार्थना पत्र प्राप्ति पर जो कार्यवाही नोटशीट तैयार हुई उसकी नकल प्रतिलिपि।
6. प्रार्थना पत्र प्राप्ति पर जारी समस्त आदेश पत्रक की नकल प्रतिलिपि।
7. प्रार्थना पत्र प्राप्ति पर जारी समस्त आदेश पत्रक जिस डाक प्रेषित पंजिका पर दर्ज हुआ उसके उस पृष्ठ के उस भाग की नकल प्रतिलिपि।
8. प्रार्थना पत्र प्राप्ति के पूर्वोतर समय में उक्त वर्णित भू–खण्ड बाबत पट्टा/नियमन/भू–उपभोग परिवर्तन/हस्तान्तरण/बेचान/पंजीयन इत्यादि संदर्भ में जो [illegible]न या प्रपत्र प्राप्त हुए उन सभी आवेदन/प्रपत्र की मय [illegible] दस्तावेजों की नकल प्रतिलिपि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:00:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

9. प्रार्थना पत्र प्राप्ति के पश्चात से नकल/सूचना तैयार करने तक के समय में उक्त वर्णित भू–खण्ड बाबत पट्टा/नियमन/भू–उपभोग परिवर्तन/हस्तान्तरण /बेचान/पंजीयन इत्यादि संदर्भ में जो भी आवेदन या प्रपत्र प्राप्त हुए उन सभी आवेदन/प्रपत्र की मय संलग्न दस्तावेजों की नकल प्रतिलिपि।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्रांक अभिलेखागार/2023/273 दिनांक 13.06.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन हे कि अपीलार्थी श्री अरविन्द कुमार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील पत्र व आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2022 की टिप्पणी बिन्दुवार निम्न प्रकार से है :

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.10.2021 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में भिजवाया जाना अंकित किया गया है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.08.2022 भिजवाया जाकर उक्त प्रार्थना दिनांक 12.10.2021 के संबंध में सूचनाएं चाही गई थी। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या रिकॉर्ड रूम/आरटीआई/2022/262 दिनांक 04.04.2023 से प्रार्थी को उनके द्वारा अंकित पंजीकृत डाक/पत्र दिनांक 12.10.2021 की [illegible] प्रेषित करने हेतु लिखा गया था, ताकि [illegible] डाक तलाश कर आगामी कार्यवाही [illegible] किन्तु इस सम्बन्ध में प्रार्थी श्री अरविन्द कुमार द्वारा [illegible] प्रति उपलब्ध नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:00:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

करवाई गई एवं ना ही इस कार्यालय के पत्रांक 262 दिनांक 04.04.2023 का जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी द्वारा अंकित डाक दिनांक 12.10.2021 इस कार्यालय के आवक–जावक रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा डाक दिनांक 12.10.2021 की फोटो प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करवाने पर डाक तलाश कर पाये जाने पर नियमानुसार नकल उपलब्ध करवा दी जावेगी।

2. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 176/2022 अनवान् तहसीलदार बनाम भागीरथ व अन्य अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2022 के फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। न्यायालय में विचाराधीन पत्रावलियों पर उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज निर्धारित प्रपत्र फार्म नं. 3 में प्रस्तुत किये जाते है। जिसका फर्द अहकाम में लिखित में अंकन किया जाता है। उक्त मिसल की संलग्न समस्त फर्द अहकाम के अवलोकन अनुसार फर्द अहकाम में अंकित दस्तावेजात पत्रावली में शामिल है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित निर्णय दिनांक 07.11.2022 के पृष्ठ संख्या 2 की पैरा संख्या 4 की पंक्ति क्रमांक 4 में सहवन से अंकित होना प्रतीत होता है। पत्रावली में दस्तावेजात जमाबंदी, बाजरी एवं ग्वार बिजान्त (गिरदावरी) के प्रमाणक की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। जो कि प्रमाण्ति प्रतिलिपियां है, जिनकी नकल नियमानुसार देय नहीं है। प्रार्थी [illegible] सूचना [illegible]कार अधिनियम के प्रार्थना पत्र दिनांक [illegible] दस्तावेजात यथा जमाबंदी, गिर[illegible] [illegible]जरी नक्शा संबंधित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त [illegible] सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:00:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः बिन्दुवार जवाब प्रेषित कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रथम अपील प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाने की मेहरबानी फरमावें।

संलग्न : उपुर्यक्तानुसार।

भवदीय
-sd-
(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक 273 दिनांक 13.06.2023 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और और प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी** चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया [illegible] कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए [illegible] अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:00:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक** सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि अपनी वांछित सूचनाओं हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियमानुसार देय सूचनाएं उसे 15 दिवस में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निरस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:00:42 IST
Reason: SelfAttested